उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्याः24/2016/सा-3-557/दस-2016-301(8)/2015
लखनऊः दिनॉकः 06 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को उनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त पूर्ववर्ती तिथि से प्रदान की गयी नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप काल्पनिक वेतन निर्धारण एवं उसके आधार पर सेवानैवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-486 में संशोधन किये जाने विषयक निर्गत अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या-8/2016/सा-3-179/दस-2016-301(8)/2015, दिनांक 28 मार्च, 2016 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3)- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(4)- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6)- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(7)- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(8)- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9)- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-8/2016/सा-3-179/दस-2016-301(8)/2015

लखनऊ : दिनॉक : 28 मार्च, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 486 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 486 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुच्छेद	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद
486. The term "Emoluments" when used in these Regulations means the "Pay" as defined in Rule 9(21) of the U. P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement.	486. The term "Emoluments" when used in these Regulations means the "Pay" as defined in Rule 9(21) of the U.P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement.

-3-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

NOTE—If an officer immediately before his retirement or death, has been absent from duty on leave with allowances, his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been had he not been absent from duty :

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actually drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.

NOTE—If an officer immediately before his retirement or death, has been absent from duty on leave with allowances, his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been had he not been absent from duty :

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actually drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.

Provided further that if a retired officer is subsequently granted notional promotion from a date falling earlier to his date of retirement, he shall be entitled to revised pension with effect from the date on which the order of notional promotion was issued, on the basis of the pay notionally arrived at immediately before his retirement by granting admissible increments notionally after fixing his pay on the date of notional promotion. However, no arrear of pay shall be admissible on account of pay fixation on notional promotion, and, similarly, no arrear of pension on account of grant of pension under this proviso shall be admissible for the period falling prior to the date of issue of order of notional promotion.

By order,
Rahul Bhatnagar
Principal Secretary.

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in